

Assocham demands cut in effective corp tax to 25%, inflation indexing of allowances

PTI ■ NEW DELHI

Industry chamber Assocham has demanded cut in effective corporate tax to 25 per cent, doing away with dividend distribution tax (DDT) and indexing of allowances and deductions under personal Income Tax with inflation.

In its pre-budget meeting with the Revenue Secretary last week, Assocham also demanded reduction of excise duty on Aviation Turbine Fuel (ATF), and a cut in customs duty rates on raw materials used in domestic manufacturing.

It also suggested that Minimum Alternate Tax (MAT), which is levied at 18.55 per cent, should be abolished and demanded that relaxation in norms for start-ups.

"The effective corporate tax on distributed profit is over 48 per cent. Need to reduce to 25 per cent and gradually to 20 per cent," Assocham said.

It further said that Dividend Distribution Tax

(DDT) at 20.55 per cent is "burdensome" and suggested that it be replaced with Dividend Taxation.

With regard to personal taxation, Assocham recommended that all allowances and deductions — medical/conveyance etc — should be "indexed as per cost of inflation".

Such a step would make allowances more realistic and help in neutralising the impact of inflation for taxpayers.

With regard to rationalising excise duty on ATF, the industry body said post implementation of Goods and Services Tax (GST), credit of excise duty paid on purchase of ATF is not eligible. This has resulted in increasing the cost component for the airline industry.

"Government should consider decreasing the excise duty rates on ATF, in order to help aviation industry in India... Lower excise duty rates would be required to offset the impact of rising international fuel prices," it said.

Industry captains want effective corp tax cut to 25%, allowances' inflation indexing

NEW DELHI: Industry chamber Assocham has demanded cut in effective corporate tax to 25 per cent, doing away with dividend distribution tax (DDT) and indexing of allowances and deductions under personal Income Tax with inflation.

In its pre-budget meeting with the Revenue Secretary last week, Assocham also demanded reduction of excise duty on Aviation Turbine Fuel (ATF), and a cut in customs duty rates on raw materials used in domestic manufacturing. It also suggested that Minimum Alternate Tax (MAT),

which is levied at 18.55 per cent, should be abolished and demanded that relaxation in norms for start-ups.

"The effective corporate tax on distributed profit is over 48 per cent. Need to reduce to 25 per cent and gradually to 20 per cent," Assocham said.

It further said that Dividend Distribution Tax (DDT) at 20.55 per cent is "burdensome" and suggested that it be replaced with Dividend Taxation.

With regard to personal taxation, Assocham recommended that all allowances and deductions-- medi-

cal/conveyance etc-- should be "indexed as per cost of inflation".

Such a step would make allowances more realistic and help in neutralising the impact of inflation for taxpayers.

With regard to rationalising excise duty on ATF, the industry body said post implementation of Goods and Services Tax (GST), credit of excise duty paid on purchase of ATF is not eligible. This has resulted in increasing the cost component for the airline industry.

"Government should consider decreasing the excise

duty rates on ATF, in order to help aviation industry in India... Lower excise duty rates would be required to offset the impact of rising international fuel prices," it said.

Assocham also demanded cut in customs duty rates on aluminium to 5 per cent from 7.5 per cent, woven backing fabric to 10 per cent from 25 per cent and on CRGO Steel and steel mill rolls to nil from 5 per cent and 7.5 per cent respectively.

The fill budget for 2019-20 would be presented on July 5, Assocham Co Chairman Rakesh Nangia said the Gov-

ernment should give addition tax incentives to the electrical vehicles sector, by giving weighted deduction on the capital and R&D expenditure and leverage SEZ by extending sunset period beyond April 2020.

The government in 2015-16 Budget promised that the corporate tax rate would be gradually lowered to 25 per cent from 30 per cent over the next four years and exemptions available to companies would be phased out.

In Budget 2016-17, the government reduced corporate tax rate to 25 per cent for

companies whose turnover was less than Rs 50 crore in financial year 2015-16. This benefited 96 per cent of the total companies filing tax returns.

In 2018-19 Budget, the reduced rate of 25 per cent was extended to companies with turnover of up to Rs 250 crore in 2016-17, a move which benefited micro, small and medium enterprises.

After this, out of about 7 lakh companies filing returns, about 7,000 which file returns of income and whose turnover is above Rs 250 crore remain in 30 per cent slab.

कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 25% किया जाए: एसोचैम

राजस्व सचिव के साथ
बजट-पूर्व बैठक में
अपनी मांगें रखीं

एजेंसी | नई दिल्ली

उद्योग संगठन एसोचैम ने कॉरपोरेट टैक्स की प्रभावी दर को घटाकर 25% करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीटीटी) को खत्म किया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत आयकर के तहत भत्तों और कटौतियों में महंगाई के प्रभाव को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस कदम से भत्ते और अधिक वास्तविक बन सकेंगे। साथ ही करदाताओं पर महंगाई के दुष्प्रभाव को खत्म करने में भी मदद मिलेगी। एसोचैम ने पिछले सप्ताह

एसोचैम की अन्य प्रमुख मांगें

- 20.55% की दर से लगने वाला डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म किया जाना चाहिए।
- 18.55% की दर से लगने वाले मिनिमम अल्टरबेटिव टैक्स (मैट) खत्म होना चाहिए।
- एटीएफ पर एक्साइज ड्यूटी के साथ-साथ कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की जानी चाहिए।
- एलयुमिनियम पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से घटाकर 5% हो।

राजस्व सचिव के साथ हुई बजट-पूर्व बैठक में अपनी मांगें रखीं। संगठन ने कहा, कंपनियों के मुनाफे पर कॉरपोरेट टैक्स की प्रभावी दर 48% से अधिक है। इसे कम कर 25% और बाद में धीरे-धीरे घटाकर 20% पर लाने की जरूरत है।

उद्योग संगठनों ने आर्थिक पैकेज मांगा

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

नई सरकार बनने के बाद औद्योगिक संगठनों की तरफ से प्रोत्साहन पैकेज की मांग उठने लगी है। उद्योगों की मांग है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कर्ज पर ब्याज दर में कटौती की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उसका फायदा लोगों तक पहुंचे।

सीआईआई ने नई सरकार के बनने के बाद सोमवार को अगले एक साल के लिए आर्थिक एजेंडा साझा करते हुए यह बात रखी। सीआईआई के मुताबिक मौजूदा दौर में कर्ज पर ब्याज दरें ऊंची हैं। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसी नीतियों पर काम करना चाहिए जिनसे न सिर्फ इंडस्ट्री को सस्ती दरों पर

आयकर छूट को महंगाई से जोड़ा जाए : एसोचैम

उद्योग मंडल एसोचैम ने नौकरीपेशा वर्ग को मिलने वाले भत्तों और आयकर के तहत छूट को महंगाई के साथ जोड़ने की मांग की है। इससे महंगाई बढ़ने के साथ आयकर छूट भी बढ़ जाएगी। एसोचैम ने कहा कि चिकित्सा / परिवहन भत्ते में मुद्रास्फीति के प्रभाव को शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार के कदम से भत्ते अधिक वास्तविक होंगे और करदाताओं के लिए महंगाई के असर को कम करने में मदद मिलेगी। उद्योग संगठन ने कंपनी कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत पर लाने, लाभांश वितरण कर (डीडीटी) समाप्त करने का भी सुझाव दिया।

कर्ज मिल सके बल्कि आरबीआई के कर्ज घटाने का फायदा भी लोगों को मिलता रहे। सीआईआई के भावी अध्यक्ष उदय कोटक ने कहा कि पांच सालों के लिए अर्थव्यवस्था को तैयार करने के लिहाज से नीति निर्माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि वित्तीय घाटा

काबू में रहे। मौजूदा अध्यक्ष विक्रम किलोस्कर ने कहा कि रोजगार बढ़ाने के लिए निवेश भी बढ़ाने की जरूरत है। पर्यटन, गारमेंट, टेक्सटाइल्स, कृषि, निर्माण और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर हैं, जहां रोजगार के हजारों मौके पैदा किए जा सकते हैं।

एसोचैम की कंपनी कर की दर घटाकर 25 % करने की मांग

एजेसी ■ नई दिल्ली

उद्योग मंडल एसोचैम ने कंपनी कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत पर लाने, लाभांश वितरण कर (डीडीटी) समाप्त करने तथा भत्तों तथा व्यक्तिगत आयकर के तहत कटौती को मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ जोड़ने की मांग की है। पिछले सप्ताह राजस्व सचिव के साथ बजट पूर्व बैठक में एसोचैम ने विमान ईंधन (एटीएफ) पर उत्पाद शुल्क तथा घरेलू विनिर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर सीमा शुल्क दरों में कटौती की भी मांग की। उद्योग मंडल ने यह भी सुझाव दिया है कि 48.55 प्रतिशत की दर से लगने वाला न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) समाप्त किया जाना चाहिए तथा स्टार्ट अप के लिए नियमों में ढील की मांग की। एसोचैम ने कहा, वितरित लाभ पर प्रभावी कंपनी कर दर 48 प्रतिशत से अधिक है। इसे कम कर 25 प्रतिशत और बाद में धीरे-धीरे घटाकर 20 प्रतिशत पर लाने की जरूरत है। उसने कहा कि 20.55 प्रतिशत लाभांश वितरण कर (डीडीटी) कष्टदायक है और कटौती...चिकित्सा



परिवहन भत्ता आदि...में मुद्रास्फीति प्रभाव को शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार के कदम से भत्ते अधिक वास्तविक होंगे और कर्दाताओं के लिए मुद्रास्फीति के प्रभाव को तटस्थ बनाने में मदद मिलेगी। एटीएफ पर उत्पाद शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के संदर्भ में उद्योग मंडल ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) क्रियान्वयन के बाद एटीएफ की खरीद पर उत्पाद शुल्क क्रेडिट का भुगतान अब पात्र नहीं है। इससे एयरलाइन उद्योग की लागत बढ़ रही है। उसने कहा कि सरकार को विमानन उद्योग की मदद के लिए एटीएफ पर उत्पाद शुल्क में कटौती पर विचार करना चाहिए। एसोचैम ने विनिर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर सीमा शुल्क में कटौती की भी मांग की। सरकार 2019-20 का पूर्ण बजट पांच जुलाई को पेश करेगी।

कंपनी कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत की जाए: एसोचैम

नई दिल्ली, 3 जून (एजेंसी): उद्योग मंडल एसोचैम ने कंपनी कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत पर लाने, लाभांश वितरण कर (डी.डी.टी.) समाप्त करने तथा भत्तों तथा व्यक्तिगत आयकर के तहत कटौती को मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ जोड़ने की मांग की है। पिछले सप्ताह राजस्व सचिव के साथ बजट पूर्व बैठक में एसोचैम ने विमान ईंधन (ए.टी.एफ.) पर उत्पाद शुल्क तथा घरेलू विनिर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर सीमा शुल्क दरों में

कटौती की भी मांग की।

उद्योग मंडल ने यह भी सुझाव दिया है कि 48.55 प्रतिशत की दर से लगने वाला न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) समाप्त किया जाना चाहिए तथा स्टार्टअप के लिए नियमों में ढील की मांग की।

एसोचैम ने कहा, "वितरित लाभ पर प्रभावी कंपनी कर दर 48 प्रतिशत से अधिक है। इसे कम कर 25 प्रतिशत और बाद में धीरे-धीरे घटाकर 20 प्रतिशत पर लाने की जरूरत है।"



